

भारतीय मानक ब्यूरो
BUREAU OF INDIAN STANDARDS
मानक चिह्न के उपयोग के लिए अनुज्ञप्ति
Licence for the use of STANDARD MARK

लाइसेंस सं. सीएम/एल- 7100136694

Licence No. CM/L- 7100136694

यह ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर

गणेश केमिकल इंडस्ट्रीज

शेड नं. सी-1, 212/3 जीआईडीसी सरीगाम,

तालुका- उमरगांव, वलसाड- 396155, गुजरात

को (जिसे इसमें आगे 'अनुज्ञप्तिधारी' कहा गया है) इसकी प्रथम अनुसूची के पहले स्तंभ में विनिर्दिष्ट मानक चिह्न का इस अनुसूची के तीसरे स्तंभ में दी गई किस्मो पर, उपयोग करने के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करता है। इन उत्पादित किस्मो पर चिह्न का उपयोग उक्त अनुसूची के द्वितीय स्तंभ में समय-समय पर संशोधित अथवा पुनरीक्षित/संदर्भित संबंध भारतीय मानक (मानकों) के अनुसार/अनुरूप विनिर्मित हो।

By virtue of the power conferred on it by the BUREAU OF INDIAN STANDARDS ACT, 2016 (11 of 2016) the BUREAU hereby grants to

GANESH CHEMICAL INDUSTRIES
SHED NO. C-1, 212/3 GIDC SARIGAM,
TALUKA- UMARGOAN, VALSAD- 396155, GUJARAT

(herein after called the Licensee) this licence to use the Standard Mark set out in the first column of the Schedule hereto, upon or in respect of the varieties set out in the third column of the said Schedule which is manufactured in accordance with/conforms to the related Indian Standard(s) referred to in the second column of the said Schedule as from time to time amended or revised.

2. इस अनुज्ञप्ति में अनुबंद अनुज्ञप्ति की शर्तों के लिए अनुज्ञप्तिधारी उत्तरदायी हैं। यह अनुज्ञप्ति पहली अनुसूची में यथा-उल्लिखित नाम, कारखाना के पते और अवधि के लिए विधिमान्य होगा और इसे स्कीम-1 में निर्दिष्टानुसार नवीकृत कराया जा सकता है।


2. This licence carries the obligations on the part of licence as condition of licence which are given in Annexure attached herewith. The licence shall be valid for the name, factory address and period as mentioned in the schedule and may be renewed as specified in the scheme-I

अनुसूची
SCHEDULE

लाइसेंस सं. सीएम/एल- 7100136694

LICENCE NO. CM/L- 7100136694

नाम : गणेश केमिकल इंडस्ट्रीज
फैक्ट्री एड्रेस : शेड नं. सी-1, 212/3 जीआईडीसी सरीगाम, तालुका- उमरगांव,
वलसाड- 396155, गुजरात
विधिमान्यता : तेइस जनवरी दो हजार छब्बीस से बाईस जनवरी दो हजार सताइस
Name : GANESH CHEMICAL INDUSTRIES
Factory Address : SHED NO. C-1, 212/3 GIDC SARIGAM, TALUKA-
UMARGOAN, VALSAD- 396155, GUJARAT
Validity : From Twenty Third January Two Thousand Twenty Six to
Twenty Second January Two Thousand Twenty Seven

| मानक चिह्न STANDARD MARK | भारतीय मानक INDIAN STANDARD(S) | अनुज्ञप्ति का विषय क्षेत्र SCOPE OF LICENCE | चिह्नांकन शुल्क MARKING FEE |
|--|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| IS 15227  CM/L- 7100136694 | IS 15227 : 2002 डेल्टामेथ्रिन यूएलवी S 15227 : 2002 Deltamethrin ULV | डेल्टामेथ्रिन (1.25 %) यूएलवी Deltamethrin (1.25 %) ULV. | एक वर्ष की प्रचालन अवधि के दौरान न्यूनतम मुहरांकन फीस ₹ 38000.00 के साथ सभी इकाईयों के लिए ₹ 115.00 प्रति इकाई इकाई: 100 LITRES ₹ 115.00 per unit for all units with a Minimum Marking Fee of ₹ 38000.00 during an operative period of one year Unit: 100 LITRES एक प्रचालन वर्ष के लिए न्यूनतम चिह्नांकन शुल्क अग्रिम में देय होगी जो अगले नवीकरण में अग्रणीत होगी। Minimum marking fee for one operative year payable in advance which will be carried over to next renewal(s) |

आज 27 जनवरी दो हजार छब्बीस को हस्ताक्षरित तथा मोहरबंद किया गया।

Signed, Sealed and Dated this 27 January Two Thousand Twenty Six .

कृते भारतीय मानक ब्यूरो
for BUREAU OF INDIAN STANDARDS


एस के सिंह/ S K Singh

वरिष्ठ निदेशक एवं प्रमुख /Senior Director and Head